राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–साण्डेराव

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 4573 / 2015
दायरा तिथि 16.09.2015
आदेश तिथि 09.06.2016

प्रार्थीगण–

1–भंवरसिंह पुत्र धनसिंहजी
2–सरदारसिंह पुत्र धनसिंहजी
3–रिडमलसिंह पुत्र भंवरसिंहजी
4–अमरदयालसिंह पुत्र सरदारसिंहजी
जातिगण राजपुरोहित
निवासीगण साण्डेराव
तहसील सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीगण–

1–पुखराज पुत्र जयरूपजी
2–खीमराज पुत्र जयरूपजी
3–कानसिंह पुत्र जयरूपजी
4–धनसिंह गोदपुत्र नरसिंहजी
5–प्रकाशसिंह उर्फ प्रकाशकुमार पुत्र जयसिंहजी
6–रामसिंह पुत्र लक्षमणजी
7–सोहनसिंह पुत्र लक्षमणजी
8–जयसिंह पुत्र लक्षमणजी
जातिगण पुरोहित निवासीगण साण्डेराव
तहसील सुमेरपुर
9–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 RLRAct,1956

–: आ दे श :–

दिनांक 09.06.2016

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। प्रश्नगत मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डेराव–II तहसील सुमेरपुर में स्थित गत् खसरा नं. 1191 / 1 व 1191 / 2 हाल खसरा नं. 1967, 1968 व 1969 आयी हुई है जिसे सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान जमाबंदी में इन्द्राज करते वक्त त्रुटिवश नक्शा व मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित पूर्व से पश्चिम की बजाय, पश्चिम से पूर्व इन्द्राज किये गये है जिससे मौके की स्थिति में भिन्नता आ गई है। सेटलमेंट की सद्भाविक त्रुटि होने से सुधारा जाना आवश्यक व न्याय संगत है तथा इस त्रुटि को सुधार किए जाने में सभी खातेदार सहमत है किसी प्रकार से कोई उजर–आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र के पद सं.(5) में वर्णित उक्त कृषि भूमि के मौके पर वर्तमान में पक्षकारों के कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधन करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः गत् जमाबंदी संवत् 2025–27, मिलान क्षेत्रफल, हाल नक्शा, हाल जमाबंदिया संवत् 2068–71 (3) पेश हुई है।

(2) कि कथित प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी सं.04 व 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष अप्रार्थीगण के जवाब कार्यवाही में विचाराधीन रहते यह पत्रावली बरोज आज राजस्व लोक अदालत केम्प में पेश

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

हुई और इस लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने जो राजीनामा पेश किया है जिसे बाद सत्यापन तस्दीक करके रेकर्ड पर लिया गया है, में वर्णित इबारत अनुसार तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य–दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों से कथित प्रार्थना पत्र में अभिव्यक्त कथनों की बखुबी पुष्ठि होती है और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत किए गये तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मौके की स्थिति अनुसार कतिपय प्रावधान के तहत सेटलमेंट की सद्भाविक त्रुटि का सुधार किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत किए गये तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार सरहद मौजा साण्डेराव–II तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1967 रकबा 3.69 हेक्टर, खसरा नं. 1968 रकबा 3.54 हेक्टर व खसरा नं. 1969 रकबा 6.87 हेक्टर भूमि के राजस्व रेकर्ड में मौके की स्थिति अनुसार कतिपय प्रावधान के तहत सेटलमेंट की सद्भाविक त्रुटि का सुधार निम्न रूपेण किये जाने का आदेश पारित किया जाता है–

खसरा नंबर	**वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज पक्षकारों की स्थिति अनुसार**	**पक्षकार जिनका वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त है, के अनुसार हाल राजस्व रेकर्ड सुधार कर इन्द्राज किया जाना है।**
1967	अप्रार्थीगण–रामसिंह, सोहनसिंह, जयसिंह पि.लक्ष्मणजी	प्रार्थीगण–भंवरसिंह, सरदारसिंह पि. धनसिंहजी, रिडमलसिंह पुत्र भंवरसिंहजी, अमरदयालसिंह पुत्र सरदारसिंहजी 1/2 हिस्सा
1968	अप्रार्थीगण–धनसिंह गोदपुत्र नरसिंहजी, प्रकाशसिंह उर्फ प्रकाशकुमार पुत्र जयसिंहजी	अप्रार्थीगण–पुखराज, खीमराज, कानसिंह पि. जयरूपजी 1/2 हिस्सा
1968 1969	अप्रार्थीगण–पुखराज, खीमराज, कानसिंह पि. जयरूपजी 1/2 हिस्सा व प्रार्थीगण भंवरसिंह, सरदारसिंह पि. धनसिंहजी, रिडमलसिंह पुत्र भंवरसिंहजी, अमरदयालसिंह पुत्र सरदारसिंहजी 1/2 हिस्सा	अप्रार्थीगण–धनसिंह गोदपुत्र नरसिंहजी, प्रकाशसिंह उर्फ प्रकाशकुमार पुत्र जयसिंहजी 1/2 हिस्सा व रामसिंह, सोहनसिंह, जयसिंह पि.लक्ष्मणजी 1/2 हिस्सा

तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का साण्डेराव–II को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट की सद्भाविक त्रुटि का सुधार किया जाकर नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित् करे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner